न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 63/2023
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 25.06.2024

1. दुर्गालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति पारीक निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री रमेश चन्द्र पारीक वकील वादी

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक:– 25.06.2024**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 188 के खसरा नम्बर 4481 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं. 7822 रकबा 0.6828 हैक्टेयर, खसरा नं. 7823 रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खसरा नं. 7896 रकबा 2.5796 हैक्टेयर, खसरा नं. 7905 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं. 7906 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नं. 7907 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 7908 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 7996 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.8936 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण पटवार हल्का फागी दक्षिण भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त हिस्सें अनुसार वादी काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। वादी की कब्जे काश्त की आराजी जरिये वसीयत दिनांक 26.09.1970 को नारायण पुत्र भूरा कोम पुरोहित निवासी ग्राम फागी तहसील फागी के फौती उपरान्त प्राप्त आराजी भूमि है। जिसका नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 31.05.1978 को भरा गया, तब वादी ने उक्त वसीयत राजस्व अधिकारी एवं पटवारी हल्का को दे दी थी, जिसके बाबत नामान्तकरण पंजिका में तुलनात्मकता में उल्लेख किया गया, परन्तु नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 विशेष विवरण में वसीयत के आधार पर प्रविष्ठ न कर गलत प्रविष्ठ कर दी गयी उक्त गलत प्रविष्ठ के कारण राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज" दुरगा लाल पुत्र मु० नारायण हिस्सा 1/3 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार" हो गया, जबकि वसीयत दिनांक 26.09.1970 में

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.....................2

पृष्ठ संख्या 02 में निष्ठा पत्र बहक श्री दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम पुरोहित के किया हुआ है जो सही है। राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों को वसीयत के अनुसार "दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति पुरोहित हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार" नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। वादी की अन्य आराजीयात खसरा नं. 4448, 4489, 4693, 4696, 4699, 4700, 7511, 7889, 8042, 8880/4490 कुल किता 10 कुल रकबा 4.1729 हैक्टेयर भूमि में वादी का सही नाम दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं वादी के अन्य दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक, सर्विस डायरी इत्यादि दस्तावेजात में वादी का नाम दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण अंकित है जो कि सही दर्ज है। वादी की आराजीयात में गलत इन्द्राज होने के कारण वादी को अपनी उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर विकास कार्य कराने तथा आराजी पर कृषि लोन आदि लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने अपने उक्त गलत इन्द्राज के खाते को दुरूस्त कराने हेतु अनेकों बार हल्का पटवारी व तहसीलदार फागी को मौखिक एवं लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किये, लेकिन वादी के गलत इन्दाज को आज दिन तक दुरूस्त नहीं किया गया। अभी हाल ही में दिनांक 26.06.2023 को वादी ने राज्य सरकार द्वारा संचालित कैम्प महंगाई राहत केम्प व प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प प्रभारी फागी के यहाँ व्यक्तिशः हाजिर होकर गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो कैम्प प्रभारी फागी ने नियमित कोर्ट से वादी को आदेश होने पर ही गलत इन्द्राज दुरूस्त होगा। इस कारण वादी को यह वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया। प्रतिवादी भूमि धारक होने एवं मुकदमें हाजा में आवश्यक पक्षकार होने के कारण तथा राजकीय अधिकारी होने एवं नियमानुसार इनके विरूद्ध कोई भी सिविल, रेवन्यू कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व धारा 80 सी. पी. सी. के प्रावधान अनुसार इनके विरूद्ध कोई भी वाद पेश किये जाने से पूर्व दो माह की अवधि का लीगल नोटिस दिये जाने की अनिवार्यता है, परन्तु वादी के वाद की प्रकृति अर्जेन्ट नेचर की होने के कारण उक्त दो माह की मियाद का नोटिस दिया जाना वादी के हितों के खिलाफ है। उक्त अवधि के नोटिस दिये जाने की अनिवार्यता को वैव किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की इजाजत प्राप्त होने की आशा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र को सुनने एवं निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

लगातार..................3

संख्या 1 तहसीलदार फागी उपस्थित आए तथा अपना जवाब पेश कर बताया कि ग्राम फागी दक्षिण के खाता सं. 188 में वादी श्री दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति पारीक निवासी ग्राम फागी के नाम इन्द्राज न होकर दुरगालाल पुत्र मु. नारायण जाति पुरोहित सा. देह दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि वादी को लक्ष्मीनारायण की विरासत से प्राप्त हुई है।

साक्ष्य हेतु वादी ने स्वंय का व ग्यारसी लाल पुत्र रामचन्द जाति बैरवा निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान के शपथ पत्र पेश किये और शामिल मिसल किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी दक्षिण के खाता सं0 188 में दुरगालाल पुत्र मु. नारायण हिस्सा 1/3 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार तथा खाता संख्या 189 में दुरगालाल पुत्र लक्ष्मीनाराण हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी उक्त आराजीयात में रिकॉर्डेड खातेदार है। पत्रावली में शामिल नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 31.05.78 द्वारा जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। गवाह ने भी अपने शपथ पत्र मे वादी का सही नाम दुरगालाल पुत्र मु. नारायण के स्थान पर दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किये जाने का समर्थन किया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक में वादी का नाम दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 188 के खसरा नम्बर 4481 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं. 7822 रकबा 0.6828 हैक्टेयर, खसरा नं. 7823 रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खसरा नं. 7896 रकबा 2.5796 हैक्टेयर, खसरा नं. 7905 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं. 7906 रकबा 0. 1012 हैक्टेयर, खसरा नं. 7907 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 7908 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 7996 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.8936 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन दुरगालाल पुत्र मु0 नारायण के स्थान पर दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

25/6/24

([illegible] कुमार [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

दुर्गालाल बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 63 / 2023
निर्णय दिनांक 25.06.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. दुर्गालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति पारीक निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०। वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर। प्रतिवादी

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 63 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी रमेश चन्द पारीक हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 188 के खसरा नम्बर 4481 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नं. 7822 रकबा 0.6828 हैक्टेयर, खसरा नं. 7823 रकबा 0.7713 हैक्टेयर, खसरा नं. 7896 रकबा 2.5796 हैक्टेयर, खसरा नं. 7905 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं. 7906 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नं. 7907 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नं. 7908 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 7996 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.8936 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन वादी दुरगालाल पुत्र मु0 नारायण के स्थान पर दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज ...X... मुबलिग ...X......बाबत ......X.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X....... फीसदी......X...... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X...... का अदा करे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.06.2024 को जारी की गई।

25/6/24

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा फागी जिला-दूदू

मुहर (उपखण्ड अधिकारी फागी जिला ...)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबुत			स्टाम्प वजह सबुत		
महन्ताना वकील		NIL	महन्ताना वकील		NIL
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू